झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची

आपराधिक प्रकीर्ण याचिका स. 2160 वर्ष 2023

मार्टिन टिर्के उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्र युरूस टिर्के निवासी गाँव-कोटा पोस्ट ऑफिस नागरी, पुलिस थाना- नागरी जिला राँची,झारखण्ड

.....याची

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. राहिल टिर्के उम्र लगभग 39 वर्ष, पत्नी स्व. पवन टिर्के, निवासी गाँव- कोटा, पोस्ट ऑफिस, नागरी, पुलिस थाना- नागरी जिला राँची झारखण्ड

.....विरोधी पक्षकारगण

याची के लिए : श्री अरूण कुमार दूबे, अधिवक्ता

श्री अजय कुमार मुरारका, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री शैलेष कुमार सिन्हा,अपर लोक .अभियोजक.

विरोधी पक्षकार स. के लिए : कोई नही

निर्णीत

मा. श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा :- दोनो पक्षकारो को सुना

2. यद्यपि विरोधी पक्षकार सं.2 को विधिमान्यतः नोटिस तामील कराया गया है फिर भी, बार-बार पुकारने के बावजूद विरोधी पक्षकार सं. 2 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ है।

3. इस दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका को भारतीय दण्ड सहिता की धारा 376 तथा लैगिंक अपराधो से बालको का सरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अधीन दण्डनीय अपराधो के लिए पंजीकृत पाक्सो मामला स. 54 वर्ष 2019 के तत्समान नागरी पुलिस थाना मामला सं. 42 वर्ष 2019 के सम्बन्ध में विद्वान अपर न्यायिक कमिश्नर -IV सह-विशेष जज,पाक्सो, राँची द्वारा पारित प्रकीर्ण दाण्डिक आवेदन सं. 1378 वर्ष 2023 में पारित आदेश दिनांक 24-05-2023 का अभिखंडन करने / अपास्त करने के अनुरोध के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय के अधिकारिता का अवलंब लेते हुए दाखिल किया गया है जिसके धारा तथा जिसके अन्तर्गत विद्वान अपर न्यायिक कमिश्नर - IV-सह-विशेष जज, पाक्सो राँची ने अ.सा.01, अ.सा.02, अ.सा.04 तथा अं.सा.07 को पुनः बुलाने के याची के अनुरोध को नामंजूर

किया था तथा उक्त मामला अब विद्वान अपर न्यायिक कमिश्नर -IV सह-विशेष जज, पाक्सो राँची के न्यायालय में लंबित है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अ.सा.01 तथा अ.सा.07 को परीक्षित तथा प्रतिपरीक्षित किया गया है तथा इसके वाद इन्हे उन्मोचित किया गया है लेकिन अ.सा.02 और अ.सा.04 को प्रतिपरीक्षित नही किया गया है तथा यद्यपि अभियुक्त व्यक्ति जो न्यायालय में साक्षी के रूप में अपने परीक्षा के समय पर वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा उपस्थित हो रहा था, फिर भी इसे अपने अधिवक्ता के अनुपस्थिति में सक्षीगण से कोई प्रश्न पूछने का कोई अवसर नही दिया गया था। अतः यह निवेदन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अ.सा.02 तथा अ.सा.04 को पुनः बुलाने के लिए द.प्र.स. की धारा 311 के अधीन दाखिल याचिका को अनुज्ञात न करते हुए घोर अवैधता तथा अनुचितता किया है। अतः यह निवेदन है किया गया है कि पाक्सो मामला स. 54 वर्ष 2019 जो अब विद्वान अपर न्यायिक कमिश्नर -IV सह-विशेष जज, पाक्सो, राँची के न्यायालय में लंबित है के तत्समान नागरी पुलिस थाना मामला स.42 वर्ष 2019 के सबंध में विद्वान अपर न्यायिक कमिश्नर -IV सह-विशेष जज, पाक्सो, राँची द्वारा पारित प्रकीर्ण दाण्डिक आवेदन स. 1378 वर्ष 2023 में पारित आदेश दिनांक 24-05-2023 जहाँ तक इस का सबंध अ.सा.02 तथा अ.सा.04 के प्रति परीक्षा हेतु अनुरोध के नामंजूरी से है अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय तथा अ.सा.02 तथा अ.सा. 04 के प्रति परीक्षा हेतु अनुरोध को अनुज्ञात किया जाय।

5. राज्य के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अपर लोक. अभियोजक. ने अ.सा. 01 तथा अ.सा.07 को पुनः बुलाने के अनुरोध का जोरदार तरीके से विरोध किया है जिसे विस्तार पूर्वक प्रतिपरीक्षित किया गया है तथा इससे पूछे जाने वाले तात्पर्यित किसी प्रश्न को द.प्र.सं. की धारा 311 के अधीन याचिका में प्रकट नही किया गया है लेकिन किसी गंभीर आक्षेप को नही उठाया है जहाँ तक इस शर्त के अधीन अ.सा. 02 तथा अ.सा.04 के पुनः बुलाने का सबंध है कि याची इन्हे प्रत्येक को रु 2500/ खर्च की प्रतिपूर्ति करता है।

6. न्यायालय में किये गये प्रतिद्वन्द्वी ही निवेदनो को सुनने के बाद तथा अभिलेख में उपलब्ध समग्रीयो का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात, यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विद्वान अपर न्यायिक कमिश्नर -IV सह-विशेष जज, पाक्सो, राँची ने, जो विडियो कान्फ्रेसिंग के द्वारा साक्षीगण के परीक्षा के दौरान उपस्थित था, साक्षीगण जो न्यायालय में उपस्थित थे तथा जिसका अभिसाक्ष्य इसने लेखबद्ध किया था से प्रश्नो को पूछने

का अवसर अभियुक्त व्यक्ति को न देकर अनुचितता किया है। ऐसा न किये जाने के बाद इसे याची के द.प्र.सं. की धारा 311 के अधीन याचिका को अनुज्ञात करना चाहिए था जिससे इसे अपने अधिवक्तागण के द्वारा अ.सा.02 तथा अ.सा. 04 की प्रति परीक्षा करने में सक्षम बनाया जा सके लेकिन ऐसा न किये जाने के बाद, निश्चित रूप से विद्वान अपर न्यायिक कमिश्नर - IV सह-विशेष जज, पाक्सो, राँची ने अनुचितता किया है। लेकिन जहाँ तक अ.सा. 01 तथा अ.सा.07 को पुनः बुलाने के अनुरोध का संबंध है अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दोनो अ.सा. 01 तथा अ.सा. 07 के पहले ही प्रति परीक्षित किया गया है। द.प्र.सं. की धारा 311 के अधीन याचिका से यह प्रकट नही होता है कि किस प्रयोजन हेतु अभियुक्त व्यक्ति अ.सा. 01 या अ.सा.07 को पुनः बुलाना चाहता है तथा किन प्रश्नो को पूछने के लिए इस प्रकार के साक्षीगण का पुनः बुलाया जाना ईप्सित है। इसके अभाव में, अ.सा.01 तथा अ.सा. 07 को पुनः बुलाने के अनुरोध को नामंजूर करने के लिए विद्वान अपर न्यायिक कमिश्नर-IV- सह- विशेष जज, पाक्सो राँची द्वारा कोई अवैधता नही किया गया है।

7. इस प्रकार की परिस्थितियो में, पाक्सो मामला स. 54 वर्ष 2019 जो अब विद्वान अपर न्यायिक कमिश्नर -IV- सह- विशेष जज, पाक्सो, राँची के न्यायालय में लंबित है के तत्समान नागरी पुलिस थाना मामला सं. 42 वर्ष 2019 के सबंध में विद्वान अपर न्यायिक कमिश्नर-IV- सह-विशेष जज, पाक्सो, राँची द्वारा प्रकीर्ण दाण्डिक आवेदन सं. 1378 वर्ष 2023 में पारित आदेश दिनांक 24-05-2023 को भागतः अभिखंडित तथा अपास्त किया जाता है जहाँ तक इसका सबंध अ.सा. 02 तथा अ.सा. 4 से है।

8. यदि याची विचारण न्यायालय में प्रत्येक सक्षीगण अ.सा. 02 तथा अ.सा.04 के पक्ष में आहरित रू 2500/ के दो पृथक डिमाण्ड ड्राफ्टो को जमा करता है, विचारण न्यायालय को सबसे कम संभव समय में अ.सा. 2 तथा अ.सा. 04 के आगे प्रति परीक्षा हेतु पुनः बुलाये जाने का निदेश दिया जाता है तथा जब कभी अ.सा. 02 तथा अ. सा. 04 अपने आगे के प्रति-परीक्षा हेतु न्यायालय में उपस्थित होता है, इन्हे डिमाण्ड ड्राफ्ट सौपा जाय।

9. इस आ.प्र.या. को पूर्वोक्त विस्तार तक अनुज्ञात किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमुर्ति)

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)